न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2767–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–8–16 पारित द्वारा नजूल अधिकारी, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 31/अ–6/1997–98.

रामकृष्ण मिश्रा आ. रामहरक मिश्रा
निवासी सदर बाजार, होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

रविशंकर मिश्रा आ. रामहरक मिश्रा
निवासी व्ही–10 प्रियदर्शनी निलयम ई–10
एक्सटेंशन तिलक नगर, भोपाल
तहसील व जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नजूल अधिकारी, होशंगबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नजूल अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 3850–पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 8–6–2016 संशोधित आदेश दिनांक 14–6–2016 के द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–2015 को स्थिर रखा गया है । आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाये, अतः इस न्यायालय के आदेश के पालन में नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के

अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र पर तर्क के दौरान आवेदक द्वारा अनावेदक के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण की अनुमति चाही गई, जिसे नजूल अधिकारी द्वारा निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया । नजूल अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निरकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा नजूल अधिकारी से सर्वप्रथम यह निवेदन किया गया था कि अनावेदक को उपस्थिति में उनकी साक्ष्य ली जाये, और उनका प्रतिपरीक्षण का अवसर आवेदक को दिया जाये, परन्तु नजूल अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करने में अनियमितता की गई है कि प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि नजूल अधिकारी को आवेदन पत्र का निराकरण गुण–दोष पर करना चाहिए था ।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण मूल आवेदन पत्र पर आदेश हेतु नियत कर दिया गया है, जबकि प्रकरण में अभी साक्ष्य नहीं हुई है ।

(4) आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया था, जिनका नजूल अधिकारी द्वारा आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नजूल अधिकारी द्वारा अभी कार्यवाही प्रारंभ की गई है, और आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, परन्तु आवेदक द्वारा येन–केन–प्रकारेण प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में नजूल

अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण अंतिम आदेश हेतु नियत नहीं कर मूल आवेदन पत्र एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत किया गया है, जहां पर आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नजूल अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी द्वारा अपने आदेश में ऐसा कोई बिन्दु निराकृत नहीं किया गया है, जिससे आवेदक का परिवेदित होना परिलक्षित हो । नजूल अध्किारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है, क्योंकि जब प्रकरण में साक्ष्य होगी, तभी उसका प्रतिपरीक्षण किया जायेगा । नजूल अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अभी नजूल अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पत्र का भी निराकरण करना है । ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक नजूल अधिकारी के समक्ष प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । दर्शित परिस्थितियों में नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी, होशंगबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर